छत्तीसगढ़ विधानसभा
पत्रक भाग-एक
संक्षिप्त कार्य विवरण
मंगलवार, दिनांक 15 मार्च, 2011
(फाल्गुन-24, शक संवत् 1932)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रथम चक्र में प्रश्न संख्या 01, 02, 04 से 09, 15, 17, 19 से 25 एवं द्वितीय चक्र में प्रश्न संख्या 11 (कुल 18) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्न संख्या 10 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्री सौरभ सिंह के स्थान पर अधिकृत श्री दूजराम बौद्ध, प्रश्न संख्या 16 एवं 18 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी एवं डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी के स्थान पर अधिकृत सदस्य श्री धर्मजीत सिंह,अनुपस्थित रहे।

प्रश्न संख्या 03, 12, 13, 14, के प्रश्नकर्त्ता सदस्य क्रमशः सर्वश्री रामपुकार सिंह, दूजराम बौद्ध, टी.एस.सिंहदेव एवं श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर अनुपस्थित रहे।

प्रश्न संख्या 20 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री परेश बागबाहरा के स्थान पर श्री अग्नि चंद्राकर अधिकृत थे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 15 तारांकित एवं 35 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री कोमल जंघेल, संसदीय सचिव ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 19 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) का दसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010, पटल पर रखा।

3. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य ने रायगढ़ जिले के खरसिया नगर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों का नियम विरूद्ध आवंटन किये जाने की ओर खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

डॉ.सियाराम साहू, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य ने जनपद पंचायत खैरागढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका की भर्ती में अनियमितता किये जाने की ओर महिला एवं बाल विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

सुश्री लता उसेंडी, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

4. औचित्य का प्रश्न एवं व्यवस्था

श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि ध्यानाकर्षण में जिन मुद्दों का उल्लेख किया गया है, इस आधार पर उत्तर नहीं दिया गया है कि प्रकरण माननीय न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर के पास लंबित है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री, श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य तथा श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष ने भी विचार व्यक्त किए।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - यदि कोई प्रकरण न्यायालय में लंबित है तो यहां चर्चा करते समय वहां की कार्यवाही प्रभावित न हो, उस सीमा को हम ध्यान में रखते हुए प्रश्न कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जब ध्यानाकर्षण जवाब के लिए दिया गया तो ग्राह्य करने के पहले विभाग को यह बात उसी समय जानकारी में लानी चाहिए थी । माननीय सदस्य श्री मोहम्मद अकबर प्रश्न कर सकते हैं।

5. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्रीमती प्रतिमा चन्द्राकर

(2) श्री सौरभ सिंह

(3) डॉ(श्रीमती) रेणु जोगी

(4) श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी

(5) श्री अमरजीत भगत

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री विरेन्द्र कुमार साहू

(2) श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह

(3) श्री बोधराम कंवर

7. वर्ष 2011-2012 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

(1) श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य मंत्री ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 39, ग्रामोद्योग से संबंधित मांग संख्या 56, बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 50 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-39 पर सर्वश्री रविन्द्र चौबे, अग्नि चंद्राकर, चैतराम साहू, (डॉ.) प्रेमसाय सिंह टेकाम, ताम्रध्वज साहू, शिवराज सिंह उसारे, लेखराम साहू, श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर, डॉ.शक्राजीत नायक, डॉ.हरिदास भारद्वाज, सर्वश्री भोलाराम साहू, मोहम्मद अकबर, **मांग संख्या-56 पर** श्री शिवराज सिंह उसारे, श्री लेखराम साहू, डॉ. शक्राजीत नायक, डॉ.हरिदास भारद्वाज, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों एवं कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।

श्री अग्नि चंद्राकर, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
सर्वश्री फूलचंद सिंह, गुरुमुख सिंह होरा, संतोष बाफना, भजन सिंह निरंकारी,

(सभापति महोदय (श्री देवजी पटेल) पीठासीन हुए।)

डॉ.सुभाऊ कश्यप, सर्वश्री रामदेव राम, रामजी भारती, (श्री लखमा कवासी-अनुपस्थित), सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, विरेन्द्र कुमार साहू,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री शिवराज सिंह उसारे, डोमनलाल कोर्सेवाड़ा, (श्री अमरजीत भगत-अनुपस्थित), राजू सिंह ठाकुर, (श्री बैदूराम कश्यप-अनुपस्थित)।

श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री चंद्रशेखर साहू, कृषि मंत्री ने कृषि विभाग से संबंधित मांग संख्या 13, पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 14, मछलीपालन विभाग से मांग संख्या 16, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 54, श्रम विभाग से संबंधित मांग संख्या 18 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-13 पर सर्वश्री रविन्द्र चौबे, महंत रामसुंदर दास, ताम्रध्वज साहू, लेखराम साहू, (डॉ.) प्रेमसाय सिंह टेकाम, (डॉ.) शक्राजीत नायक, (डॉ.) हरिदास भारद्वाज, शिवराज सिंह उसारे, रामदेव राम **मांग संख्या-14 पर** सर्वश्री महंत रामसुंदर दास, ताम्रध्वज साहू, धर्मजीत सिंह, टी.एस.सिंहदेव, (डॉ.) हरिदास भारद्वाज, भोलाराम साहू **मांग संख्या-16 पर** श्री महंत रामसुंदर दास, डॉ. शक्राजीत नायक, डॉ. हरिदास भारद्वाज, डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम **मांग संख्या-54 पर** श्री महंत रामसुंदर दास, डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, डॉ. शक्राजीत नायक, डॉ. हरिदास भारद्वाज **मांग संख्या-18 पर** सर्वश्री रविन्द्र चौबे, महंत रामसुंदर दास, डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, डॉ. शक्राजीत नायक, डॉ. हरिदास भारद्वाज, श्री भोलाराम साहू, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों एवं कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।

श्री ताम्रध्वज साहू, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री देवजी पटेल) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
सर्वश्री विरेन्द्र कुमार साहू, धर्मजीत सिंह

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से कार्यसूची के पदक्रम 5 (2) का कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

डॉ.सुभाऊ कश्यप,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

डॉ.शक्राजीत नायक, श्रीमती सुमित्रा मारकोले।

श्री चंद्रशेखर साहू, कृषि मंत्री ने चर्चा का उत्तर देना प्रारंभ किया।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

श्री चंद्रशेखर साहू, कृषि मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

रात्रि 7.15 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनाँक 16 मार्च, 2011 (फाल्गुन 25, शक संवत् 1932) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा